भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2774

05 अगस्त, 2026 के लिए प्रश्न

पीडीएस और ओएनओआरसी

2774. श्री आशीष दुबे:

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) योजना के कार्यान्वयन और आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सहित डिजिटल पहलों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को मजबूत करने में पिछले एक वर्ष के दौरान क्या प्रगति हुई है;

(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत खाद्यान्न के वितरण में पारदर्शिता, पोर्टेबेलिटी और दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) सम्पूर्ण कंप्यूटरीकरण, स्मार्ट उचित दर की दुकानों और खाद्यान्न की आवाजाही की डिजिटल ट्रैकिंग को मजबूत करने के लिए क्या पहल की गई हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन पहलों के माध्यम से चोरी को रोकने, लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने तथा देशभर में राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न तक पहुंच में सुधार करने के लिए प्रभावी उपाय किए गए हैं और इसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' (ओएनओआरसी) को सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा चुका है, जिससे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के 100% लाभार्थियों को कवर किया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान, लगभग 39.34 करोड़ पोर्टेबिलिटी लेन-देन दर्ज किए गए। कुल मिलाकर, अब तक 221 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेन-देन दर्ज किए जा चुके हैं, जिससे लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपनी खाद्यान्न पात्रता निर्बाध रूप से प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हुई है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार-आधारित प्रमाणीकरण को अपनाया गया है, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से 98.5 प्रतिशत से अधिक खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत वास्तविक लाभार्थियों को खाद्यान्न की पारदर्शी प्रदायगी सुनिश्चित हो रही है।

...2/-

(ख) से (ङ): राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता, पोर्टेबिलिटी तथा संपूर्ण प्रक्रिया के कंप्यूटरीकरण को सुदृढ़ बनाने और दक्षता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. **डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग:** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राशन कार्ड/लाभार्थी डाटाबेस 100% डिजिटल हो गया है; 99.7% राशन कार्ड आधार से जोड़ दिए गए हैं, जिससे फ़र्ज़ी/डुप्लिकेट राशन कार्डों को हटाया गया है।

ii. **पारदर्शिता और शिकायत निवारण:** सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पारदर्शिता पोर्टल और ऑनलाइन शिकायत निवारण/टोल-फ्री हेल्पलाइन संचालित हैं।

iii. **ऑनलाइन आबंटन और आपूर्ति श्रृंखला का कंप्यूटरीकरण:** सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑनलाइन आबंटन लागू किया गया; 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला का कंप्यूटरीकरण किया गया (चंडीगढ़, पुद्दुचेरी तथा शहरी दादरा और नगर हवेली को छोड़कर, जिन्होंने डीबीटी नकद अंतरण अपनाया है)।

iv. **उचित दर दुकानों के स्तर पर ईपीओएस-आधारित आधार प्रमाणीकरण:** 5.51 लाख उचित दर दुकानों में से 5.50 लाख (99.8%) दुकानों को ईपीओएस डिवाइस से स्वचालित किया गया है, जिससे वितरण के समय लाभार्थियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुनिश्चित होता है और राशन की हेराफेरी पर रोक लगती है।

v. **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी):** सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में देशव्यापी पोर्टेबिलिटी लागू की गई, जिसमें पीएमजीकेएवाई के सभी लाभार्थी शामिल हैं; अब तक 221 करोड़ से ज़्यादा पोर्टेबिलिटी लेन-देन दर्ज किए गए हैं, जिससे लाभार्थियों के छूटने और डुप्लिकेट दावे करने की समस्या कम हुई है।

vi. **वास्तविक पात्र लाभार्थियों को लक्षित करना:** आधार/पीडीएस डाटा विश्लेषण का इस्तेमाल करके लाभार्थियों की डुप्लीकेट एंट्री हटाने और लाभार्थी सत्यापन की कार्यवाही के परिणामस्वरूप अपात्र/डुप्लीकेट लाभार्थियों की पहचान करके उन्हें हटाया गया; इसमें 5.95 करोड़ लाभार्थियों को चिह्नित किया गया (ज़मीन के मालिकाना हक वाले मामलों को छोड़कर) और 2.35 करोड़ लाभार्थियों को हटाया गया।

vii. **स्मार्ट-पीडीएस सुधार पहल:** इसे राशन कार्ड प्रबंधन, वितरण, आपूर्ति श्रृंखला और शिकायत निवारण के मॉड्यूल के साथ लागू किया जा रहा है, ताकि राज्य-स्तर पर टीपीडीएस के प्रचालन को और अधिक मानकीकृत तथा डिजिटल रूप से एकीकृत किया जा सके।

viii. **निर्मल और सक्षम:** सार्थक-पीडीएस व्यापक योजना (2026–31) के तहत नई पहलें, जिनका उद्देश्य डाटा वास्तुकला/विश्लेषिकी (निर्मल) को सुदृढ़ करना और खाद्यान्न की खरीद से लेकर लाभार्थियों तक वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया (सक्षम) में वास्तविक समय डाटा एकीकरण (वीएलटीएस सहित) सुनिश्चित करना है।
